

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

सं.एफ.12(14)वित्त/कर/2017-125

जयपुर, मार्च 8, 2017

आदेश

राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), के खण्ड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करके स्कीम को उपांतरित करती है, अर्थात्:-

संशोधन

1. **खण्ड 7.1.1 का प्रतिस्थापन.**- स्कीम के विद्यमान खण्ड 7.1.1 के स्थान पर दिनांक 08.10.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"7.1.1 सीमेण्ट विनिर्माता उद्यम से भिन्न पिछड़े क्षेत्र में विनिधान करने वाले उद्यम को उपर्युक्त खण्ड 7.1 के अधीन फायदों के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त फायदे मंजूर किये जायेंगे:

- (i) मूपक और केविक, जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, की 15 प्रतिशत की अतिरिक्त विनिधान सहायकी सात वर्षों के लिए;
- (ii) विद्युत शुल्क के संदाय से 50 प्रतिशत छूट;
- (iii) भू-उपयोग के परिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय से 50 प्रतिशत छूट; और
- (iv) यदि उद्यम स्कीम के अधीन ब्याज सहायकी के लिए पात्र है, 0.5 प्रतिशत विशिष्ट ब्याज सहायकी।"

2. **खण्ड 7.2 का प्रतिस्थापन.**- स्कीम के विद्यमान खण्ड 7.2 के स्थान पर दिनांक 08.10.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"7.2 सीमेण्ट विनिर्माता उद्यम से भिन्न अति पिछड़े क्षेत्र में विनिधान करने वाले उद्यम को उपर्युक्त खण्ड 7.1 के अधीन फायदों के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त फायदे मंजूर किये जायेंगे:

- (i) मूपक और केविक, जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, की 35 प्रतिशत की अतिरिक्त विनिधान सहायकी सात वर्षों के लिए;
- (ii) विद्युत शुल्क के संदाय से 50 प्रतिशत छूट;
- (iii) भू-उपयोग के परिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय से 50 प्रतिशत छूट; और
- (iv) यदि उद्यम स्कीम के अधीन ब्याज सहायकी के लिए पात्र है, 1 प्रतिशत विशिष्ट ब्याज सहायकी।"



3. **खण्ड 9.17.4 का संशोधन.-** उक्त स्कीम के खण्ड 9.17.4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “स्कीम से संलग्न उपाबन्ध IV के भाग ख में यथा वर्णित” दिनांक 25.10.2016 से हटाई जायेगी।

4. **खण्ड 10.3.1 का संशोधन.-** उक्त स्कीम के खण्ड 10.3.1 में,-

- (i) उक्त खण्ड के द्वितीय परन्तुक के अन्त में आये विराम चिन्ह “।” के स्थान पर दिनांक 08.10.2014 से विराम चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित उक्त खण्ड के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् दिनांक 08.10.2014 से निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

“परन्तु यह और कि पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में विनिधान करने वाले सीमेण्ट विनिर्माता उद्यम से भिन्न उद्यम के लिये राजस्थान के मूल निवासी कर्मचारियों के लिये प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति नियोजन जनन सहायकी की रकम महिला/अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/निर्योग्यता से ग्रसित व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के प्रवर्गों के लिये 40,000/- रुपये और अन्य के लिए 35,000/- रुपये होगी।”।

5. **उपाबन्ध-I का संशोधन.-** स्कीम के उपाबन्ध-I में, विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियां 01.04.2017 से हटाई जायेंगी।

6. **प्ररूप 1 का संशोधन.-** स्कीम से संलग्न प्ररूप 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “मूपक/केविक/एसजीएसटी के निक्षेप का सबूत” के स्थान पर दिनांक 08.10.2014 से अभिव्यक्ति “मूपक/केविक के निक्षेप का सबूत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. **प्ररूप 6 का संशोधन.-** स्कीम से संलग्न प्ररूप 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “मूपक/केविक/एसजीएसटी के निक्षेप का सबूत” के स्थान पर दिनांक 08.10.2014 से अभिव्यक्ति “मूपक/केविक के निक्षेप का सबूत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. **प्ररूप 7 का संशोधन.-** स्कीम से संलग्न प्ररूप 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “मूपक/केविक/एसजीएसटी के निक्षेप का सबूत” के स्थान पर दिनांक 08.10.2014 से अभिव्यक्ति “मूपक/केविक के निक्षेप का सबूत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. **प्ररूप 9 का संशोधन.-** स्कीम से संलग्न प्ररूप 9 के स्थान पर दिनांक 08.10.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

प्ररूप-9

[खण्ड 12.2.1 देखिए]

**नियोजन जनन सहायकी के संवितरण के लिए आवेदन
(राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 के अधीन)**

सेवा में,

सहायक आयुक्त/

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त

कालावधि : से तक

1.	आवेदक उद्यम का नाम	
2.	आवेदक उद्यम का पता	



	ई-मेल पता	
3.	वाणिज्यिक कर विभाग का रजिस्ट्रकरण सं.-टिन	
4.	हकदारी प्रमाणपत्र सं.	
5.	वर्ष (कालावधि) के लिए आवेदित सहायकी	
6.	वर्ष के लिए शोध्य कर की रकम (मूपक+केविक)	
7.	वर्ष के लिए निक्षिप्त कर की रकम (मूपक+केविक)	
8.	निक्षिप्त कर का 50 प्रतिशत	
9.	क्या उद्यम :	
	महिला/अजा/अजजा/निर्योग्य व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) से संबंधित है	हाँ/नहीं
	पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित है	हाँ/नहीं
	अति पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित है	हाँ/नहीं
	ग्रस्ट क्षेत्र से सम्बन्धित है	हाँ/नहीं
	यदि हां, ग्रस्ट क्षेत्र विनिर्दिष्ट कीजिये	
10.	वर्ष के लिए प्राप्य/आवेदित विनिधान सहायकी	
11.	नये उद्यम में कर्मचारियों की कुल संख्या या नई इकाई में कर्मचारियों की कुल संख्या, यदि विद्यमान उद्यम ने नई इकाई की स्थापना के लिए विनिधान किया है	
12.	विस्तार की दशा में, विस्तार के अधीन नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या, जो विद्यमान कर्मचारियों से अधिक हैं।	
13.	रुग्ण उद्यम के पुनरुज्जीवन की दशा में, रुग्ण औद्योगिक उद्यम के रूप में उसकी घोषणा की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त किये गये अधिकतम नियोजन स्तर से अधिक नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या	
14.	महिला/अजा/अजजा/निर्योग्यता से ग्रसित कर्मचारियों की संख्या	
	पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित उद्यमों द्वारा भरा जाये	
	(i) राजस्थान के मूल निवासी	
	(ii) अन्य	
15.	महिला/अजा/अजजा/निर्योग्यता से ग्रसित कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों की संख्या	
	पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित उद्यमों द्वारा भरा जाये	
	(i) राजस्थान के मूल निवासी	
	(ii) अन्य	
16.	क्र.सं. 14 के कर्मचारियों के लिए नियोजन जनन सहायकी	
	पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित उद्यमों द्वारा भरा जाये	
	(i) राजस्थान के मूल निवासी	
	(ii) अन्य	
17.	क्र.सं. 15 के कर्मचारियों के लिए नियोजन जनन सहायकी	
	पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित उद्यमों द्वारा भरा जाये	

Handwritten signature

	(i) राजस्थान के मूल निवासी	
	(ii) अन्य	
18.	उद्यम द्वारा दावा की गयी कुल नियोजन जनन सहायकी (16+17)	
	(i) राजस्थान के मूल निवासी	
	(ii) अन्य	
19.	सहायकी की कुल रकम (10+18)	
20.	कर कालावधि (कालावधियां) जिसमें सहायकी निक्षिप्त की जानी है	
21.	पात्र नियत पूंजी विनिधान की रकम	
22.	पूर्ववर्ती तिमाही तक प्राप्त सहायकी की कुल रकम	

मैंने कर्मचारियों की सूची के साथ कर के निक्षेप का सबूत और क.भ.नि. और/या क.रा. बी. के अंशदान के निक्षेप का सबूत या कर्मचारियों के चिकित्सीय उपचार के लिए प्राप्त की गयी बीमा पालिसी की प्रति संलग्न कर दी है।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक उद्यम की
ओर से और के लिए


सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना और इसके संलग्नक (यदि कोई हो) मेरी निजी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य और सही हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

संलग्नक :

1. कर्मचारियों की सूची के साथ क.भ.नि. और/या क.रा.बी. के अभिदाय की प्रति या कर्मचारियों के चिकित्सीय उपचार के लिए बीमा पालिसी की प्रति।
2. कर के निक्षेप का सबूत (मूपक/केविक)

राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

No.F.12(14)FD/Tax/2017-125

Jaipur, March 8, 2017

ORDER

In exercise of the powers conferred by Clause 20 of the Rajasthan Investment Promotion Scheme-2014 (hereinafter referred to as "the Scheme"), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, modifies the Scheme by making the following amendments, namely:-

AMENDMENTS

1. Substitution of clause 7.1.1.- The existing clause 7.1.1 of the scheme shall be substituted by the following, with effect from 08.10.2014, namely:-

“7.1.1 An eligible enterprise, other than a cement manufacturing enterprise, making investment in a backward area shall be granted the following additional benefits in addition to the benefits under clause 7.1 above:

- (i) Additional investment subsidy of 15% of the VAT and CST, which have become due and have been deposited by the enterprise for a period of seven years;
- (ii) 50% exemption from payment of electricity duty;
- (iii) 50% exemption from payment of conversion charges payable on change of land use; and
- (iv) 0.5% special interest subsidy, if enterprise is eligible for interest subsidy under the scheme.”

2. Substitution of clause 7.2.- The existing clause 7.2 of the scheme shall be substituted by the following, with effect from 08.10.2014, namely:-

“7.2 An eligible enterprise, other than a cement manufacturing enterprise, making investment in a most backward area shall be granted the following additional benefits in addition to the benefits under clause 7.1 above:

- (i) additional investment subsidy of 35% of the VAT and CST which have become due and have been deposited by the enterprise for a period of seven years;
- (ii) 50% exemption from payment of Electricity Duty; and
- (iii) 50% exemption from payment of conversion charges payable on change of land use; and
- (iv) 1% special interest subsidy, if enterprise is eligible for interest subsidy under the scheme.”

3. Amendment of clause 9.17.4.- In clause 9.17.4 of the scheme, the existing expression “, as mentioned in part B of annexure IV appended to the scheme” shall be deleted with effect from 25.10.2016.

4. Amendment of clause 10.3.1.- In clause 10.3.1 of the scheme,-



- (i) the punctuation mark “.” appearing at the end of the second proviso of the said clause, the punctuation mark “:” shall be substituted with effect from 08.10.2014; and
- (ii) after the second proviso of the said clause, so amended, the following new proviso, shall be added, with effect from 08.10.2014, namely:-

“Provided further that for enterprises other than cement manufacturing enterprises, making investment in backward and most backward area, the amount of employment generation subsidy per employee per year **for bonafide resident of Rajasthan** shall be Rs. 40,000/- for women/ Scheduled Caste (SC)/ Scheduled tribe (ST)/ Person with disability (PwD) category of employees and Rs. 35,000/- for others.”.

5. Amendment of Annexure I: In Annexure-I of the scheme, the existing serial number 2 and entries thereto shall be deleted, with effect from 01.04.2017.

6. Amendment of Form I.- In the Form I appended to the scheme, for the existing expression “proof of deposit of VAT/CST/SGST”, the expression “proof of deposit of VAT/CST”, shall be substituted, with effect from 08.10.2014.

7. Amendment of Form VI.- In the Form VI appended to the scheme, for the existing expression “proof of deposit of VAT/CST/SGST, if any”, the expression “proof of deposit of VAT/CST, if any”, shall be substituted, with effect from 08.10.2014.

8. Amendment of Form VII.- In the Form VII appended to the scheme, for the existing expression “proof of deposit of VAT/CST/SGST, if any”, the expression “proof of deposit of VAT/CST, if any”, shall be substituted, with effect from 08.10.2014.

9. Amendment of Form IX.- the Form IX appended to the scheme, shall be substituted by the following, with effect from 08.10.2014, namely:-

FORM – IX

[See clause 12.2.1]

APPLICATION FOR DISBURSEMENT OF EMPLOYMENT GENERATION SUBSIDY

(Under Rajasthan Investment Promotion Scheme-2014)

To

The Assistant Commissioner/

Commercial Taxes Officer

Circle

Period: FromTo

1.	Name of the applicant Enterprise	
2.	Address of the applicant Enterprise	
	e-mail address	
3.	Registration No. with Commercial Taxes Department – TIN	
4.	Entitlement Certificate No.	
5.	Subsidy Applied For the Year (Period)	
6.	Amount of Tax due for the Year [(VAT+CST)]	
7.	Amount of Tax deposited for the Year [(VAT+CST)]	

Bant

8.	50% of Tax deposited	
9.	Whether the enterprise is:	
	Women/SC/ST/ Person with disability (PwD)	Yes/No
	located in backward area	Yes/No
	located in most backward area	Yes/No
	related to thrust area	Yes/No
	If yes, specify the thrust area	
10.	Investment Subsidy availed / applied for the year	
11.	Total Number of employees in New Enterprise or Total Number of employees in New Unit in case the existing enterprise has made investment for setting up of new unit	
12.	Total Number of employees appointed under expansion which are above the existing employees, in case of expansion.	
13.	Total Number of employees appointed over and above the maximum employment level attaining during the preceding three years from the date of its declaration as sick industrial enterprise, in case of revival of sick enterprise	
14.	Number of Women/ SC/ST/Person with disability (PwD) employees	
	To be filled by the enterprise located in backward or most backward area	
	(i) Bonafide residents of Rajasthan	
	(ii) Others	
15.	Number of employees other than Women/SC/ST/ Person with Disability(PwD)	
	To be filled by the enterprise located in backward or most backward area	
	(i) Bonafide residents of Rajasthan	
	(ii) Others	
16.	Employment Generation Subsidy for employees at S. No. 14	
	To be filled by the enterprise located in backward or most backward area	
	(i) For Bonafide residents of Rajasthan	
	(ii) For Others	
17.	Employment Generation Subsidy for employees at S. No. 15	
	To be filled by the enterprise located in backward or most backward area	
	(i) For Bonafide residents of Rajasthan	
	(ii) For Others	
18.	Total Employment Generation Subsidy claimed by the enterprise (16+17)	
	(i) For Bonafide residents of Rajasthan	
	(ii) For Others	
19.	Total amount of subsidy (10+18)	
20.	Tax period(s) in which the subsidy is to be deposited	
21.	Amount of eligible fixed capital investment	
22.	Total amount of subsidy received up to the preceding quarter	

[Handwritten Signature]

I have enclosed the proof of deposit of tax and proof of deposit of contribution of EPF and/ or ESI or copy of insurance policy obtained for medical treatment of employees, along with list of employees.

Place:

Signature of Applicant

Date:

for and on behalf of the Applicant
Enterprise

Verification

I do verify that the above information and its enclosures (if any) is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Place:

Signature of Applicant

Date:

for and on behalf of the Applicant
Enterprise

Enclosure:

1. Copy of Challan for the amount of contribution of EPF and/ or ESI or copy of insurance policy obtained for medical treatment of employees, along with list of employees.
2. Proof of deposit of Tax (VAT/CST)

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kunawat)

Joint Secretary to the Government